टी०ए० मिस केस सं० 304/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
21.08.19	अभिलेख उपरथापित। आवेदक श्री विकम पाड़ेया, पिता– स्व0 जोकलो सोंगा पाड़ेया, ग्राम– सिकुरसाई, थाना– गुपफसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– सिकुरसाई, थाना– 124, खाता नं०– 34, प्लॉट नं०– 722/802, रक्वा– 0.07½ एकड़ भूमि क्रेता सुशीला डुबराज तियु, पिता– श्री रोबिन्सन जोरिन्दल डुबराज तियु, ग्राम– सिन्दरी, थाना– मुपफसिल के पास मे विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दारस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 523,दिनांक–. 30.07.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज एंव अन्य धरेलु कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता सुशीला डुबराज तियु, पिता– श्री रोबिन्सन जोरिन्दल डुबराज तियु, ग्राम– सिन्दरी, थाना– मुपफसिल, के पास 2,50,000.00/–(दो लाख पचास हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफ्फसिल के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अ नुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक श्री विकम पाड़ेया, पिता– स्व0 जोकलो सोंगा पाड़ेया, ग्राम– सिकुरसाई, क्रेता सुशीला डुबराज तियु, पिता– श्री रोबिन्सन जोरिन्दल डुबराज तियु, ग्राम– सिन्दरी, थाना– मुपफसिल के पास 2,50,000.00/–(दो लाख पचास हजार) रूपये मे मौजा– सिकुरसाई, थाना– 124, खाता नं०– 34, प्लॉट नं०–722/802, रक्वा– 0.07½ एकड़ भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ......अनुमति...... दी जाती है। लेखापित। [signature] .../8/19 भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा। [signature] 21/8/19 भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner